UPMO010031152026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–858/2026

मौ0 मुर्शिद उर्फ जफर उम्र 23 वर्ष पुत्र मुकीम, निवासी ग्राम रसूलपुर नेवादा, थाना नरौली, जिला फैजाबाद, अयोध्या, हाल निवासी दिलखुश होटल, मदनपुर फाटक, जे. जे. कालोनी, दिल्ली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–89/2026,
धारा–69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद।

25.03.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 मुर्शिद उर्फ जफर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–89/2026, अन्तर्गत धारा–69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 24.02.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 19.02.2026 की सुबह समय करीब 06:00 बजे उसकी लड़की को मौ० मुर्शिद उर्फ जफर, घर से बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर भगा ले गया है। उसकी पुत्री की उम्र 22 वर्ष है, जो B.A III year में अध्ययनत है। वादिनी एवं रिश्तेदारों ने उसको काफी तलाश किया, लेकिन नहीं

Digitally signed by Jitendra Singh
Date: 2026.03.25 14:41:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मिली। उसकी पुत्री, मौ० मुर्शिद उर्फ जफर उपरोक्त पहले से ही जानती थी। वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर उक्त मुकदमा अभियुक्त मौ0 मुर्शिद उर्फ जफर के विरूद्ध धारा–87 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान के आधार पर उपरोक्त मुकदमें से धारा–87 भारतीय न्याय संहिता का लोप करके, उपरोक्त मुकदमा धारा–69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, प्रार्थी निर्दोष है, उसने उपरोक्त अपराध कतई नहीं किया है। उसके विरूद्ध घटना दिनांक 19.02.2026 समय सुबह 06:00 बजे की दर्शाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०–89/2026, दिनांक 24.02.2026 समय 18:50 बजे थाना कटघर पर इस आशय की पंजीकृत करायी गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त, वादिनी की पुत्री को घर से बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया है, उपरोक्त घटनाक्रम झूठा बनाबटी है। प्रार्थी ने ऐसी घटना कारित नहीं की है। वास्तव में कथित पीड़िता एवं प्रार्थी के मध्य काफी समय से प्रेम सम्बन्ध चल रहे हैं, प्रार्थी दिल्ली में दिलखुश होटल जे०जे० कालोनी में काम करता है। पीड़िता, प्रार्थी से शादी करना चाहती है और प्रार्थी भी उसी से शादी करना चाहता है, परन्तु पीड़िता के परिजन तैयार नहीं थे। पीड़िता को धमकाने, डराने पर पीड़िता दिनांक 19.02.2026 को स्वयं घर से चली गयी तथा प्रार्थी को फोन करके मुरादाबाद आने को कहा। प्रार्थी ने पीड़िता को समझाने की व घर जाने की पूरी कोशिश की, पीड़िता के न मानने पर प्रार्थी 24.02.2026 को मुरादाबाद आया और प्रार्थी ने भी पीड़िता के माता पिता से बातचीत की, परंतु पीड़िता की माता ने प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त झूठी रिपोर्ट पंजीकृत करा दी तथा प्रार्थी को थाने में बैठा लिया गया। प्रार्थी आज भी पीड़िता से विवाह करने को तैयार है, प्रार्थी ने कभी भी पीड़िता से शादी का झूठा वादा नहीं किया और न ही विवाह का झूठा वादा करके सम्बन्ध बनाये है। प्रार्थी एवं पीड़िता परस्पर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते है एवं सहमति से साथ–साथ रहे हैं। पीडिता द्वारा अपने बयान 180 बी. एन. एस. एस. में अपनी इच्छा से घर से जाना तथा प्रार्थी द्वारा बहला फुसलाकर न ले जाने का कथन किया है, पीड़िता के पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को दिये गये बयानों में घोर विरोधाभास है तथा पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अत्यन्त विलम्ब से

कराया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–87 बी0 एन 0 एस 0 में पंजीकृत की गयी, विवेचक द्वारा इस धारा का विलोपन करके धारा–69 व 351 (3) बी0 एन 0 एस 0 में विवेचना की जा रही है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, न ही प्रार्थी पर प्रवंचना पूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करने का आरोप प्रथम दृष्टया बनता है। प्रार्थी का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है, न ही कोई अन्य मुकदमा विचाराधीन है। प्रार्थी दिनांक 27.02.2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ मैथुन किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार दिनांक 19.02.2026 की सुबह समय करीब 06:00 बजे वादिनी मुकदमा की लड़की/पीड़िता को, प्रार्थी/अभियुक्त घर से बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर भगा ले गया। दौरान विवेचना, पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमें से धारा–87 भारतीय न्याय संहिता का लोप करके, उपरोक्त मुकदमा धारा–69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे शादी का झूठा झांसा देकर, उसके साथ मैथुन किये जाने एवं प्रार्थी/अभियुक्त से गर्भवती होने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। दौरान विवेचना डॉक्टर द्वारा अपने बयान में यह कथन किया है कि पीड़िता 28 हफ्ते के गर्भ से है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार

नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 मुर्शिद उर्फ जफर का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–858/2026, मुकदमा अपराध संख्या–89/2026, अन्तर्गत धारा–69, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना कटघर, जिला–मुरादाबाद निरस्त किया जाता है।

स्टेनो–अंकित कुमार

(जितेन्द्र सिंह–II)
कृते सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),
कोर्ट नं0–01, मुरादाबाद।
I.D. No.–UP6496